

पत्रावली
को पेश हो।

6/5/23

पत्रावली का कैंप खारौली में पेश
हुई। वहीलफार एवं प्रतिवादी
उपरो प्रतिवादी का क्वचन है कि
उसके द्वारा बिना संपरिवर्तन बिना
का अक्षिपित उपयोग नहीं किया
जा रहा है जबकि उसके द्वारा
18/2/2022 को वहीलफार से
आवासीय यूनिट में संपरिवर्तन
करवा लिया गया है, पत्रावली
में सलग्न दस्तावेजों का अक्लेकन
दिया। अप्राची द्वारा विवादित
आवासीय का आवासीय यूनिट में
संपरिवर्तन करा रखा है परंतु
अप्राची द्वारा आवासीय यूनिट में
उपयोग नहीं करार आवासीय
खारौली में उपयोग कर रहा है।
अतः प्रकरण सत रा अंत में
कर रहीं होंगी है। नामव
वहीलफार खारौली को निदक्षित

बिना जाता है कि अविठय में
 आवश्यक पूर्वक प्रमज बनाकर
 पेश करें। दिन प्रकरणों में
 बिना संपरिवर्तन के अडिपिक
 उपयोग किया जा रहा है उन
 प्रकरणों में ही हा अब नम
 हवं 212 का प्रथम पत्र पेश
 करें, दिन प्रकरणों में आवासीय
 धूमिद के संपरिवर्तन आकर
 आवासीय कॉलोनी में उपयोग
 किया जा रहा है उन प्रकरणों
 में संपरिवर्तन निरस्त कराने के
 प्रमज (रेफरेंस) बनाकर श्रीमान
 अति० जिला इलेक्टर महोदय को
 पेश करें। प्रमज (प्रार्थना पत्र)
 गलत धारा में पेश किया
 जाने के कारण जारी अर्खाई
 निवेद्याका निरस्त की जाती है।
 प्रकरण खरिज होकर नंबर
 के आ होकर शामिल रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
 इटावा, जिला कोटा